



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संख्या : भाविप्रा/पूक्षे/आरटीआई/पीआईओ-279/2018/240-241

दिनांक : 24 जुलाई, 2018

सेवा में,
श्री मनोज कुमार पराशर,
अधिवक्ता,
चूनाभट्टी,
रमन मंदिर, फफदीह,
रायपुर (छत्तीसगढ़)-492001

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना।

महोदय,

यह आपके सूचना का अधिकार आवेदन सं. शून्य दिनांक 29.06.2018 के संदर्भ में है। संलग्न सूचना का उत्तर कार्यकारी महाप्रबंधक (एरो) द्वारा दी गई है जो इस सूचना के संरक्षक हैं।

यदि आप इस उत्तर/सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास यह विकल्प है कि आप उत्तर/सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, श्री के.एल. शर्मा, क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक (पूर्वी क्षेत्र), नया प्रचालन भवन, नेताजी सुभाष चन्द्र बसु अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता-700052 के समक्ष अपील कर सकते हैं।

संलग्नक : यथोक्त।

का. इ. अ. अ.

कार्य. महाप्रबंधक (इंजी)/
पी.आई.ओ.-क्षेत्रीय मुख्यालय-पूर्वी क्षेत्र
ने.सु.च.ब.अं. हवाईअड्डा, कोलकाता-52

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक (एरो) पूर्वी क्षेत्र, ने.सु.च.ब.अं. हवाईअड्डा, कोलकाता-सूचनार्थ।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

सं: भावि प्रा/पूक्षे/ऐरो/एनओसी/आरटीआई/ ३४

दिनांक: 19.07.2018

कार्यालय टिप्पणी


विषय: श्री मनोज कुमार पराशर का आर टी आई आवेदन।

उपरोक्त विषय के संबंध में आपका टिप्पणी सं भाविप्रा/पूक्षे/आरटीआई/पीआईओ-279/2018/202-203 दिनांक 03.07.2018 का अवलोकन करें।

बिन्दु अनुसार आर टी आई आवेदन का उत्तर निम्नलिखित है।

| क्रम सं | प्रश्न | उत्तर |
|---------|---|---|
| 1. | आपके NOC ID RAIP/EAST/B/040517/207736 के अंतर्गत दिनांक 12.04.2017 को आरटी इनफ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डकोन लि. को नया रायपुर में भवन बनाने हेतु समुन्द्र तल से 362.29 मीटर ऊँचाई तक का भवन बनाने हेतु जारी किया गया था। उसे एनओसी आईडी के तहत दिनांक 31.05.2018 के तहत दिये गये एनओसी में 362.29 मीटर से घटाकर ऊँचाई 342.61 मीटर कर दिया गया है। उक्त ऊँचाई किस आधार पर एवं किस कारण से कम की गई है जानकारी मय दस्तावेज़ सूचना के अधिकार के तहत प्रदान किया जावे। | सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा में आधार एवं कारण नहीं आते हैं। |
| 2. | रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किस ऊँचाई तक के भवन निर्माण के लिए एनओसी प्रदान किया जाता है मय दस्तावेज़ जानकारी प्रदान करें। | प्रश्न में माँगी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है। इस कार्यालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी नाम की कोई संस्था नहीं है, अथवा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रायपुर हवाईअड्डा को भवन निर्माण की ऊँचाई के लिए एनओसी देने का कोई अधिकार नहीं है। |

उपरोक्त सूचना इस कार्यालय को सूचित करते हुए आवेदक को प्रदान करने की कृपा करें।


19.07.2018

(सोनो मरंडी)

कार्यवाहक महाप्रबंधक (ऐरो)पूक्षे

✓ सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी, पू क्षे

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

ने.सु.चं.बो.अं हवाईअड्डा, कोलकाता

Manoj K. Parashar
Advocate



Contact No: 98261-50853
Resi. Chuna Bhatti, Raman Mandir,
Fafdi, Raipur (C. G.) – 492001
e-mail ID: manojraja28@gmail.com

प्रति,

श्रीमान जनसूचना अधिकारी
जनरल मैनेजर
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
क्षेत्रीय मुख्यालय, पूर्व रिजन एनएससीबीआई एयरपोर्ट
कोलकाता 700052

**विषय:- सूचना के अधिकार की धारा 6 के अन्तर्गत सूचना मय प्रमाणित प्रति प्रदान करने
बाबत।**


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना के अधिकार की धारा 6 के तहत निम्नलिखित सूचना में प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रदान किया जावे।

1. आपके NOC ID RAIP/EAST/B/040517/207736 के अन्तर्गत दिनांक 12/04/2017 को आरती इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड बिल्डकॉन लि. को नया रायपुर में भवन बनाने हेतु समुन्द्र तल से 362.29 मीटर उचाई तक का भवन बनाने हेतु जारी किया गया था। उसी एनओसी आईडी के तहत दिनांक 31/05/2018 के तहत दिये गये एनओसी में 362.29 मीटर से घटाकर उचाई 342.61 मीटर कर दिया गया है। उक्त उचाई किस आधार पर एवं किस कारण से कम की गई है जानकारी मय दस्तावेज सूचना के अधिकार के तहत प्रदान किया जावे।
2. रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किस उचाई तक के भवन निर्माण के लिए एनओसी प्रदान किया जाता है मय दस्तावेज जानकारी प्रदान करें।

नोट:- सूचना के अधिकार के आवेदन के साथ ~~20~~ /- रु का पोस्टल आर्डर संलग्न करता है तथा इसके अतिरिक्त अन्य खर्च जो होगा वह आवेदक वहन करने को तैयार है।

रायपुर (छ.ग.)
दिनांक 29/06/2018


आवेदक
(मनोज कुमार पराशर)
अधिवक्ता
चूना भट्टी, फाफाडीह, रायपुर
मो. 9826150853